Vice Presidential Election/Immediate
By Special Messenger/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं.481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या. /द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 25 जुलाई, 2017

सेवा में

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी
सह-महासचिव राज्य सभा संसद भवन,
नई दिल्ली।

विषय:- उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-मतदान की गोपनीयता बनाए रखना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निर्णय लिया है कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पीछे दाहिने ओर ऊपर कोने पर मुहर सहित अपने पूरे हस्ताक्षर इस प्रकार करेंगे कि उससे मतपत्र के पीछे की ओर मुद्रित कोई भी अनुदेश कवर न हो या मतपत्र की क्रम संख्या को छिपाने के उद्देश्य से प्रयोग किए गए ब्लैक पेपर स्ट्रिप से ओवरलैप न हो। उसके पश्चात, निर्वाचक को मतपत्र जारी करने से पूर्व इसे पहले लम्बाई की तरफ से और फिर क्षैतिज रूप में इस प्रकार मोड़ें कि जब निर्वाचक अपना मत चिह्नित करने के पश्चात मतपेटी में मतपत्र डाले तो उसे मोड़े गए मत पत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर दिखाई दे। प्रत्येक निर्वाचक का यह कर्तव्य होगा कि मतपेटी में मतपत्र डालते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर मोड़े गए मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर दिखाए।

2. आयोग ने मत्रपत्रों में मतों को चिह्नित करने के लिए निर्वाचकों के लिए वायॅलेट स्याही वाले अच्छी गुणवत्ता वाले कलम, जोकि आयोग द्वारा उपल्बध कराई जाएगी, की आपूर्ति हेतु दिनांक 5 जुलाई, 2017 के अनुदेशसं.481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या. /द्विवार्षिक/2017, द्वारा पहले ही अनुदेश जारी कर दिया है। रिटर्निंग अधिकारी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के संबंध में मतदान के संचालन के उद्देश्य से अन्य सभी स्टेशनरी मदों का प्रापण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव